संख्याः 1/2018/908 /61-2018-55/3-2012(नि0-3)

प्रेषक,

अभय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2018

विषयः - जनपद मऊ में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के भण्डारण के लिए गोदाम / कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-946/61-2016, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण के लिए गोदाम/कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अन्य जनपदों के अतिरिक्त जनपद मऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 10725000/- (रू0 एक करोड़ सात लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी थी। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद मऊ को ई0वी0एम0 के भण्डारण हेतु गोदाम/कार्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 107.25 लाख के आवंटन की प्रति प्राप्त न होने के कारण आहरण नही किया जा सका है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मऊ में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के भण्डारण की त्वरित आवश्यकता के दृष्टिगत गोदाम/कार्यालय भवन के निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 10725000/- (रू0 एक करोड़ सात लाख पच्चीस हजार मात्र) की स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रयोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग पर सक्षम स्तर पर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता के अनुरूप ही किया जायेगा जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि शासन के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

3- जिला निर्वाचन अधिकारी, मऊ के पत्र संख्या-257 निर्वाचन (ई0वी0एम0 कार्यदायी संस्था)-18, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार प्रश्नगत कार्य हेतु यू0पी0स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, मऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। नामित कार्यदायी संस्था में परिवर्तन शासन की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय - समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2019 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

6- उपर्युक्त कार्यो को निर्धारित समयसीमा अवधि में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भविष्य मे पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नही की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य होगा। वर्तमान तथा भविष्य में उक्त कार्यो की अन्य योजना में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो इसे विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी, मऊ का होगा।

9- उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मऊ एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी मऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु संदर्भित शासनादेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग पूर्व में नही किया गया है।

3- उक्त व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस- 2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014, शासनादेश संख्या-बी-3-1840/दस-2014-100(4) /2002-ब0मै0, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 तथा शासनादेश संख्या-ई-8-157/दस-2013- 1074/2012, दिनांक 12 फरवरी, 2013 में दी गयी व्यवस्था एवं समय- समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-41 के लेखाशीर्षक ''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-ई0वी0एम0/वी0वी0पैट भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य'' मद के अन्तर्गत वहन् किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1- 375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-3-2018 में प्रतिनिधानित आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय)
विशेष सचिव।

संख्याः– 1/2018/908 (1)/61-2018-55/3-2012(नि0-3), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, मऊ।
(4) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) कोषाधिकारी, मऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश यादव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in